म०प्र० राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित

मुख्यालय, भोपाल

विपणन संघ

(ऑनलाईन द्वितीय निविदा दस्तावेज)

वर्ष 2019–20

कृषि जिंसों/उद्यानिकी फसलों की गुणवत्ता नियंत्रण हेतु सर्वेयर

एवं

सुरक्षाकर्मी आउटसोर्सिंग के आधार पर

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित

मुख्यालय जहांगीराबाद, भोपाल पिन–कोड नं 462008

द्वितीय ई–निविदा सूचना

भारत शासन की प्राईस सपोर्ट स्कीम/विकेन्द्रीकृत योजनांतर्गत समर्थन मूल्य पर/व्यवसायिक खरीदी हेतु उपार्जन के दौरान कृषि जिंसों/उद्यानिकी फसलों की एफएक्यू गुणवत्ता के परीक्षण हेतु सर्वेयरों एवं विपणन संघ की गोदामों/अस्थाई कैपों/कार्यालयों में सुरक्षा गार्ड नियुक्त करने हेतु सेवा प्रदाता एजेंसियों की आवश्यकता हेतु विपणन संघ के मंडल कार्यालयवार ऑनलाईन निविदाये आमंत्रित की जाती है। न्यूनतम अर्हता पूर्ति करने वाले पात्र निविदाकार वेबसाईट http://www.mpeproc.gov.in पर ऑनलाईन निविदायें आमंत्रित किये जाने हेतु यह निविदा दस्तावेज है।

क्रं०	विवरण	समय
1.	निविदा दस्तावेज की अवलोकन हेतु उपलब्धता।	यह निविदा दस्तावेज विपणन संघ की वेब साईट www.mpmarkfed.mp.gov.in पर सिर्फ अवलोकन – अध्ययन हेतु उपलब्ध कराया गया है।
2.	निविदा दस्तावेज ऑनलाइन क्रय हेतु उपलब्धता।	निविदा दस्तावेज http://www.mpeproc.gov.in से निविदा आमंत्रण सूचना में दर्शित तिथी व समय तक क्रय मूल्य रू 1000 + प्रोसेसिंग शुल्क ऑनलाइन ही जमा कर प्राप्त किया जा सकता है।
3.	निविदा दस्तावेज ऑनलाइन क्रय/जमा करने की अंतिम तिथि व दिनांक	निविदा दस्तावेज वेबसाईट http://www.mpeproc.gov.in से दिनांक 10/07/2019 को दोपहर 2:00 बजे तक क्रय व जमा किये जा सकते हैं।
4.	निविदा खोले जाने की तिथि एवं समय	1. तकनीकी बिड ऑनलाइन दिनांक 11/07/2019 व समय दोपहर 2:00 बजे से खोली जावेगी। 2. फायनेंशियल बिड ऑनलाईन दिनांक 12/07/2019 व समय 2:00 बजे से खोली जावेगी।

निविदाकार के लिए निर्देश :–

1. सभी इच्छुक एवं आवश्यक न्यूनतम अर्हता पूर्ति करने वाले पात्र निविदाकारों को ई–निविदा पोर्टल www.mpeproc.gov.in पर पंजीयन कराना अनिवार्य है।
2. ऑनलाइन निविदा जमा करने के लिए निविदाकार को डिजिटल सर्टिफिकेट प्राप्त करना होगा। डिजिटल सर्टिफिकेट संबंधित जानकारी एवं निविदा प्रक्रिया ऑनलाईन भरने से संबंधित तकनीकी सहयोग व स्पष्टीकरण प्राप्त करने हेतु टोल फ्री नम्बर 18002588684 पर सुबह 10:00 बजे से सांय 07:00 बजे या eproc_helpdesk@mpsdc .gov.in पर सम्पर्क किया जा सकता है।
3. निविदा प्राप्ति की तिथि व समय में अवकाश घोषित होने पर भी परिवर्तन नहीं होगा यदि निविदा तकनीकी बिड व फाइनेंशियल बिड खोलने के लिए निर्धारित तारीख को अवकाश घोषित किया जाता है, तो संबंधित निविदा के संबंधित दिवस की निविदाएं अगले कार्य दिवस पर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार समय पर खोली जावेगी।

कृषि जिंसो की गुणवत्ता नियंत्रण हेतु सर्वेयर एवं गोदामों/अस्थायी कैपों/ कार्यालय परिसर आदि की सुरक्षा व्यवस्था हेतु निविदा प्रपत्र

1— निविदा कार्यअवधि :—

निविदाओं की निर्धारित कार्यअवधि वर्ष 2019—2021 (25 मार्च 2019 से 24 मार्च 2021) दो वर्षों के लिए आमंत्रित है।

2— निविदा के उद्देश्य:—

इस निविदा का मुख्य उद्देश्य विपणन संघ द्वारा भारत शासन/प्रदेश शासन के निर्देशानुसार उपार्जित की जाने वाली कृषि जिंसों/उद्यानिकी फसलों के उपार्जन केन्द्रों पर निर्धारित एफएक्यू मापदंड के नियंत्रण/परीक्षण हेतु निर्धारित योग्यताधारी सर्वेयर एवं प्रदेश के विभिन्न जिलों की विभिन्न लोकेशन पर स्थित भण्डारण गोदामों/अस्थायी कैपों एवं कार्यालयीन परिसरों की सुरक्षा व्यवस्था एवं कार्यरत कर्मियों के जान—माल, परिसरों में स्थित चल—अचल संपत्ति की सुरक्षा के लिए आवश्यक संख्या में सुरक्षा कर्मियों की आवश्यकता। आवश्यक सर्वेयर एवं सुरक्षाकर्मियों की संख्या कार्य की प्रकृति में परिवर्तन अनुसार समय—समय पर कम ज्यादा होना संभव है।

3— निविदा का कार्य क्षेत्र:—

निविदा का कार्य क्षेत्र विपणन संघ के संबंधित मंडल कार्यालय अंतर्गत समस्त जिलों के किसी भी स्थान पर उपार्जन/भण्डारण केन्द्र एवं विपणन संघ के भण्डारण गोदाम/अस्थायी कैप एवं भविष्य में निर्मित होने वाले गोदाम/कैप सम्मिलित रहेंगे।

4— परिभाषायें:—

4.1 शब्द ''संविदा'' अनुबंध शब्द का पर्यायवाची है और संविदा से अभिप्रेत है और उसमें सम्मिलित है निविदा आमंत्रण निविदा निर्देश, संविदा उसके परिशिष्ट, निविदा की स्वीकृति तथा ऐसी सामान्य एवं विशेष शर्तें भी समाविष्ट है, जो उनमें जोड़ी जावे। यह संविदा इंडियन कॉन्टेक्ट एक्ट 1872 के अधीन होगी।

4.2 शब्द ''विपणन संघ/संघ'' एवं म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या0 जहां कहीं आया है से अभिप्रेत है सहकारिता अधिनियम के अंतर्गत स्थापित संस्था म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या0 है।

4.3 शब्द ''प्रबंध संचालक'' से अभिप्रेत है प्रबंध संचालक जिसके प्रशासनिक क्षेत्र अंतर्गत निविदा कार्य जिसमें संविदा संबंधित है, का निष्पादन होगा इसमें प्रबंध संचालक द्वारा प्राधिकृत अन्य अधिकारी सम्मिलित होंगे।

4.4 शब्द ''निविदाकार'' से अभिप्रेत है वह व्यक्ति या वे व्यक्ति, फर्म या कंपनी या सहकारी विपणन समिति आदि जिसके साथ सर्वेयर/ सुरक्षा कर्मी की उपलब्धता कराये जाने हेतु संविदा की गई तथा निविदाकार इसमें यथास्थिति उनके वारिस/उत्तराधिकारी/निष्पादक/ प्रशासक तथा उनके अनुमति प्राप्त अधिकारी सम्मिलित हैं।

4.5 शब्द ''उपार्जन/भण्डारण केन्द्र'' केन्द्र से अभिप्रेत है भारत शासन/राज्य शासन द्वारा कृषि/उद्यानिकी फसलों के उपार्जन कार्य हेतु नियत स्थल यथा मण्डी परिषद/गोदाम परिसर अथवा शासन द्वारा नियत अन्य सुविधाजनक स्थल जहां पर उक्त जिंसों का उपार्जन किया जाना है एवं उपार्जित स्कंध का भण्डारण किया जाना है।

4.6 शब्द "भण्डारण गोदाम आदि/ओपन कैप " से अभिप्रेत है विपणन संघ के स्वामित्व अथवा आधिपत्य के गोदाम अथवा अन्य किसी भी शासकीय अथवा अशासकीय एजेंसी से प्राप्त किये गये गोदामों एवं ओपन कैपों में भण्डारित की जाने वाली सामग्री भण्डारित की जाती हो।

4.7 शब्द "सेवाओं" से अभिप्रेत और इसमें सम्मिलित हैं निविदा, शर्तों/ नियमों में उल्लेखित कार्यों, कार्यो की मदों से किसी मद का संपादन। इसमें ऐसे सहायक अतिरिक्त और प्रासंगिक कर्तव्य, सेवायें और संस्कार भी सम्मिलित है जो जिला विपणन अधिकारी या उपार्जन/भण्डारण केन्द्र के अधिकृत अधिकारी/गोदाम/कैप के प्रभारी द्वारा दर्शाये जावें।

4.8 शब्द " जिला विपणन अधिकारी" से अभिप्रेत है म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या0 में जिला स्तर पर संविदा के अंतर्गत सर्वेयरों/सुरक्षाकर्मियों से कार्य कराने हेतु संबंधित सक्षम अधिकारी।

4.9 शब्द " पेक्स/विपणन समिति" से अभिप्रेत है प्राथमिक सेवा सहकारी समिति/ विपणन सहकारी समिति/अन्य सहकारी समिति जो कि सहकारी अधिनियम के तहत पंजीकृत संस्था होकर विपणन संघ के उपार्जन कार्य हेतु शासन निर्देशानुसार किसी उपार्जन केन्द्र पर कृषि/उद्यानिकी फसलों के उपार्जन हेतु अधिकृत एजेंसी।

4.10 शब्द "योग्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान" से अभिप्रेत है ऐसी संस्था/व्यवसायिक प्रतिष्ठान जिसका न्यूनतम वार्षिक टर्न ओवर कम से कम विगत 3 वर्ष 2015–16, 2016–17, 2017–18 का औसत टर्न ओवर न्यूनतम 3 करोड़ होना चाहिए।

4.11 शब्द "वर्ष" से अभिप्रेत वित्तीय वर्ष से है।

5. निविदा दस्तावेज का ऑनलाइन क्रय :–

5.1 निविदा प्रपत्र (टेंडर डॉक्यूमेंट) बेबसाइड http://WWW.mptenders.gov.in रूपये 1000/– + प्रोसेसिंग शुल्क से उनके पोर्टल पर ऑनलाइन देय रहेगा। किसी भी स्थिति में निविदा फार्म का क्रय मूल्य रूपये 1000/–वापिसी योग्य नहीं होगा।

6. ऑनलाइन निविदा कैसे प्रस्तुत करें :–

6.1 विपणन संघ द्वारा इस दस्तावेज में वर्णित सर्वेयर/सुरक्षाकर्मियों की उपलब्धता कराये जाने के कार्य हेतु ऑनलाइन निविदायें आमंत्रित की गई है।

6.2 ऑनलाइन निविदा दो बिड सिस्टम 1. तकनीकी बिड 2. फायनेंशियल बिड के आधार पर बेवसाइट http://WWW.mptenders.gov.in पर ऑनलाइन प्रस्तुत करना होगी।

6.3 निविदा दस्तावेज एवं निविदा प्रक्रिया ऑनलाइन भरने से संबंधित तकनीकी सहयोग व स्पष्टीकरण प्राप्त करने हेतु टोल–फ्री नंबर 0120–4200462, 0120–4001002,0120–4001005, 0120–6277787 पर प्रातः 10:00 बजे से सांयकाल 07:00 तक संपर्क किया जा सकता है।

6.4 तकनीकी बिड की प्रस्तुति– तकनीकी बिड के साथ निविदाकार का परिचय निर्धारित प्रपत्र –01 एवं प्रपत्र 02 में पूर्ण भरकर दस्तावेज स्केन कर तकनीकी बिड के रूप में अपलोड करेंगे।

6.5 फायनेंशियल बिड की प्रस्तुति निविदाकार द्वारा फायनेंशियल बिड में दिये गये प्रपत्र–03 के अनुरूप बेबसाइट पर दर्शित फायनेंशियल बिड प्रोफॉर्मा में अधिकृत व्यक्ति ऑनलाइन दर प्रस्तुत करेंगे।

6.6 फायनेंशियल बिड में दरें अंकों एवं शब्दों में सुवाच्य, स्पष्ट लिखी जानी चाहिए दरों में अंकों व शब्दों में भिन्नता की स्थिति निविदा अमान्य कर दी जावेगी।

6.7 एक निविदाफार्म में विपणन संघ के मंडल कार्यालय के अधीनस्थ समस्त जिलों के अंतर्गत उपार्जन केन्द्र/भण्डारण गोदाम/कैप सम्मिलित रहेंगे के लिए प्रत्येक मंडल कार्यालय हेतु।

6.8 निविदाफार्म में प्रत्येक मण्डल कार्यालय के लिए पृथक–पृथक दरें अंकित की जावेंगी यथा भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, रीवा, सागर एवं ग्वालियर। दरें सर्वेयर एवं सुरक्षाकर्मी हेतु पृथक–पृथक प्रस्तुत करना होगी। निविदाकार सर्वेयर एवं सुरक्षाकर्मी दोनों के लिये अथवा किसी एक के लिये भी दरें प्रस्तुत कर सकता है।

6.9 निविदाकर्ता सर्वेयर एवं सुरक्षाकर्मी दोनों की निविदायें प्रस्तुत करने में भाग ले सकेगा।

7. निविदा की प्रस्तुतिः–

7.1 निविदायें दस्तावेज में वर्णित व्यवस्था अनुसार ऑनलाइन ही प्रस्तुत की जाना है। निविदा में संबंधित सभी दस्तावेज निविदा खुलने की दिनांक से पूर्व के ही मान्य किये जावेंगे।

7.2 सशर्त निविदा विचार योग्य नहीं होगी।

8. निविदा में डिजीटल हस्ताक्षरः–

8.1 ऑनलाइन निविदा निविदाकार या उसके सक्षम प्राधिकारी के डिजीटल हस्ताक्षर से प्रस्तुत होने चाहिए निविदा में निविदाकार द्वारा उसका पूरा नाम पूरा पता एवं हैसियत (जैसे स्वामी/भागीदार/कंपनी सचिव/प्रबंध संचालक/मुखत्यार या संचालक अनिवार्यता स्पष्ट करेंगे) निविदाकार की ओर से यदि अधिकृत व्यक्ति द्वारा निविदा डिजीटल हस्ताक्षर से प्रस्तुत होती है तो इस संबंध में स्वप्रमाणित मूल पॉवर ऑफ एटोर्नी दस्तावेज स्केन कर अपलोड कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा उक्त पॉवर ऑफ एटोर्नी के अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। अगर कंपनी/फर्म/समिति द्वारा पॉवर ऑफ एटोर्नी जारी की जाती है तो पॉवर ऑफ एटोर्नी दस्तावेज पर सभी संचालकों भागीदारों पदाधिकारियों के नाम सहित फर्म कंपनी/समिति प्रमुख के हस्ताक्षर में सील सहित हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। अधिकारिता प्रमाण के अभाव में तकनीकी बिड निरस्त कर दी जायेगी।

9.1 निविदा फार्म पर हस्ताक्षर–

स्वामित्व/फर्म/कंपनी के अधिकृत निविदाकार प्राधिकारी ही निविदा फार्म पर डिजीटल हस्ताक्षर करें, वे हैसियत का वैध प्रमाण प्रस्तुत करेंगे। प्रमाण के अभाव में तकनीकी बिड निरस्त कर दी जायेगी।

कं0	निविदाकार का स्वरूप	निविदा कौन भर सकेगा
1.	एकल स्वामित्व	स्वामी स्वयं का उसका मुख्त्यारनामा धारी अधिकृत व्यक्ति
2.	भागीदार फर्म	सभी भागीदार या उनका मुख्त्यारनामा धारी अधिकृत व्यक्ति
3.	कंपनी	कंपनी द्वारा अधिकृत व्यक्ति (कंपनी के अन्तर्नियमों की प्रति भी प्रस्तुत करना होगी)
4.	सहकारी समिति	समिति द्वारा अधिकृत व्यक्ति

10. अमानत राशिः—

10.1 निविदा दस्तावेज के साथ अमानत राशि रूपये 2,00,000/— दो लाख बेव—पोर्टल www.mpeproc.gov.in में ई—पेमेंट गेटवे के माध्यम से ऑनलाईन जमा करना होगा। अर्थात मंडल कार्यालयवार पृथक—पृथक अमानत राशि जमा कराना होगी।

10.2— निविदाकार को अमानत राशि जमा करने की ई—रसीद की स्केन कॉपी अनिवार्य रूप से वेबपोर्टल पर अपलोड करना होगा, अन्यथा निविदा निरस्त माना जायेगा।

10.3— सफल निविदाकार की निविदा स्वीकृत होने पर उसकी अमानत राशि रू0 2,00,000/— (दो लाख) अनुबंध अवधि तक सुरक्षानिधि के रूप में जमा रहेगी। जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। कार्य संतोषजनक निर्धारित शर्तो के अनुरूप नहीं पाये जाने की स्थिति में उक्त राशि संघ द्वारा राजसात कर ली जावेगी।

10.4— असफल निविदाकार की अमानत राशि सफल निविदाकार द्वारा अनुबंध कर लिये जाने के उपरांत उनके द्वारा वेबपोर्टल पर उपलब्ध कराये गये बैंक खाते पर उक्त राशि ऑनलाईन वापस कर दी जायेगी।

10.5— निविदाकार की निविदा स्वीकृत हो जाने के उपरान्त म०प्र० राज्य सहकारी विपणन संघ से रूपये 1000/— (एक हजार) के स्टाम्प पेपर पर दो वर्ष के लिये अनुबंध करना होगा जिसकी अवधि संतोषजनक कार्य होने पर आपसी सहमति से अनुबंध में उल्लेखित शर्तो के अधीन अधिकतम एक वर्ष के लिये प्रबंध संचालक, म०प्र० राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या0 के द्वारा वृद्धि की जा सकेंगी। परन्तु निविदाकार की निविदा स्वीकृत हो जाने के उपरान्त म०प्र० राज्य सहकारी विपणन संघ से अनुबंध नहीं करने की दशा में अमानत राशि विपणन संघ द्वारा राजसात कर ली जावेगी।

11. गुणवत्ता नियंत्रण हेतु कर्मचारियों की योग्यता एवं संख्या :—

क.	पदनाम	पद संख्या	योग्यता
1	सर्वेयर/गुणवत्ता नियंत्रक	आवश्यकतानुसार	कृषि एवं बायोलॉजी विषय में स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि अथवा भारत सरकार/राज्य सरकार अथवा उनके उपक्रम में कृषि उपजों के गुणवत्ता नियंत्रण से संबंधित सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी।
2.	सुरक्षाकर्मी	आवश्यकतानुसार	न्यूनतम 8 वीं कक्षा उत्तीर्ण एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ।

12— कार्यानुभव :—

12.1 भारत सरकार/म0प्र0 शासन अथवा उनके सार्वजनिक उपक्रम में एवं निजी क्षेत्र में सुरक्षाकर्मी प्रदाय करने का न्यूनतम 3 वर्ष का कार्यानुभव होना आवश्यक है। कार्यानुभव के प्रमाणीकरण हेतु कर्मचारी भविष्य निधि का पंजीयन दस्तावेज एवं प्रपत्र—5 भरकर उसके साथ स्व प्रमाणित कार्य आदेशों की प्रतिलिपि संलग्न करे।

12.2 निविदाकार किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय विभाग द्वारा काली सूची में दर्ज या अयोग्य घोषित नहीं होना चाहिए। स्वच्छ छवि बाबत् स्वघोषणा शपथ पत्र संलग्न करें।

12.3 निविदाकार को गत 3 वर्षो की आयकर विवरणियां प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

12.4 निविदाकार का कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा निगम एवं जी0एस0टी0एन0 में पंजीकृत होना आवश्यक होगा (पंजीयन सर्टिफिकेट संलग्न करना अनिवार्य है)

12.5 कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा तथां जी.एस.टी. की वर्ष 2018 के चालानों की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

12.6 जिस निविदाकार के नाम से निविदा प्राप्त होगी केवल उसी के अनुभव प्रमाण पत्र मान्य किये जायेगे। कंसोर्शियम मान्य नहीं किया जावेगा।

12.7 सेवा प्रदाता एजेन्सी का विपणन संघ के मंडल कार्यालय अंतर्गत किसी भी जिले में कार्यालय संचालित होना अनिवार्य होगा ताकि विपणन संघ द्वारा मंडल कार्यालय अंतर्गत जिलो में पदस्थ सुरक्षाकर्मी/सर्वेयर संबंधी समस्याओं का निराकरण किया जा सकें, स्थापना पंजीयन की प्रति प्रस्तुत करें।

12.8 उक्त सभी बिन्दुओं की जानकारी प्रपत्र–1 अनुसार भरकर प्रस्तुत करना अनिवार्य हैं ताकि तकनीकी निविदा का आकंलन तदानुसार किया जा सके। प्रपत्र–1 में वांछित दस्तावेजों के अभाव में निविदा निरस्त कर दी जावेगी।

13. <u>नियम एवं शर्ते :–</u>

13.1 सेवा प्रदाता एजेन्सी द्वारा दी गई दरों की स्वीकृति उपरांत उन्हें निविदा में दिये गये पते पर अथवा ई–मेल द्वारा निविदा स्वीकृति की सूचना दिये जाने के 5 कार्यशील दिवस के भीतर निर्धारित प्रारूप में अनुबंध का निष्पादन किया जाना अनिवार्य होगा। निर्धारित समयावधि में अनुबंध न करने की दशा में जमा की गई ई0एम0डी0 राशि राजसात कर ली जावेगी एवं द्वितीय न्यूनतम निविदाकार को प्रथम न्यूनतम दर पर कार्य करने के लिए आमंत्रित किया जावेगा।

13.2 निविदाकार की निविदा स्वीकृत हो जाने के उपरान्त म०प्र० राज्य सहकारी विपणन संघ से रूपये 1000/– (एक हजार) के स्टाम्प पेपर पर दो वर्षों के लिये अनुबंध करना होगा जिसकी अवधि संतोषजनक कार्य होने पर आपसी सहमति से अनुबंध में उल्लेखित शर्तो के अधीन अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिये वृद्धि की जा सकेंगी।

13.3 म०प्र० राज्य सहकारी विपणन संघ को एजेन्सी के कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर दो माह की पूर्व सूचना उपरांत, अनुबंध को समयावधि के पूर्व समाप्त करने का अधिकार होगा है।

13.4 कार्यादेश जारी करने से 48 घंटे के भीतर सर्वेयर तथा सुरक्षाकर्मियों की दशा में 5 दिवस के भीतर नियुक्त किया जाना आवश्यक होगा। निर्धारित समयावधि में नियुक्ति न किये जाने की दशा में प्रतिकर्मचारी प्रतिदिन की दर से 100 रूपये के हिसाब से पेनल्टी अधिरोपित की जावेगी जिसका भुगतान 5 दिवस में करना अनिवार्य होगा अन्यथा स्थिति में अमानत राशि से समायोजित कर वसूली की जावेगी।

13.5 निविदादाता द्वारा पदस्थ किये गये सुरक्षाकर्मी की आयु 18 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष से अधिक एवं सर्वेयर की आयु 18 वर्ष से कम एवं 65 वर्ष अधिक न हो।

13.6 विपणन संघ द्वारा अनुबंध अवधि के दौरान अगर सर्वेयर/सुरक्षाकर्मी की संख्या बढ़ायी जाती है तो उस स्थिति में निविदादाता को अनुबंधित दर अनुसार ही भुगतान किया जावेगा, इसी प्रकार यदि विपणन संघ द्वारा सर्वेयर/सुरक्षाकर्मी की संख्या घटायी जाती है तो भुगतान भी तदनुसार ही किया जावेगा। भुगतान वास्तविक कार्य दिवस के आधार पर किया जावेगा।

13.7 अनुबंध अवधि के दौरान शासन द्वारा सेवा प्रदाता को सर्वेयर/सुरक्षाकर्मी के हित में कोई नई Welfare Scheme प्रारंभ की जाती है तो उस पर आने वाला व्यय निविदादाता द्वारा वहन किया जावेगा।

13.8 निविदाकार द्वारा पदस्थ किए गये सर्वेयर/सुरक्षाकर्मी निविदाकार के ही स्टाफ होंगे एवं उनके द्वारा रोजगार हेतु विपणन संघ पर किसी प्रकार के क्लेम स्वीकार्य नहीं होंगे।

13.9 कार्य के दौरान यदि सर्वेयर/सुरक्षाकर्मी किसी दुर्घटना का शिकार होता है तो उसकी क्षतिपूर्ति का दायित्व एजेंसी का होगा।

13.10 एजेंसी, श्रम कानूनों का पालन करने के लिये स्वयं जबाबदार रहेगी एवं उसे आवश्यक पंजीयन, संबंधित विभाग से प्राप्त कर, अनुबंध किये जाने के एक माह की अवधि में अनुबंधकर्ता संस्था के कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। श्रम कानूनों का पालन न करने की स्थिति में यदि वैधानिक दायित्व उत्पन्न होते है तो ऐसे वैधानिक दायित्व का निराकरण एजेंसी द्वारा अपने स्तर पर किया जायेगा तथा इस संबंध में वहन किये जाने वाले वित्तीय व्यय निविदाकार संस्था/एजेंसी द्वारा ही वहन किये जायेंगे।

13.11 प्रचलित सुरक्षा कानून इस अनुबंध के तहत लागू रहेगे जिसके पालन करने की पूरी जिम्मेदारी एजेंसी की होगी।

13.12 निविदाकर्ता संस्था का प्रकार एकलस्वामित्व, रजिस्ट्रार फर्म्स एण्ड सोसायटी में पंजीकृत फर्म सोसायटी अथवा कंपनी हो सकता है जिनका नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत में पंजीयन होना अनिवार्य है।

13.13 निविदा प्रस्तुतकर्ता का कर्मचारी भविष्य निधि खाते का पंजीयन होना चाहिये और ठेके की अवधि के दौरान वह सभी संगत सांविधिक नियम, विनियम से संबंधित विधि बाध्यता को, जो भी इनमें से उत्पन्न होंगे, के पालन के लिये बाध्य होगा।

13.14 निविदाकार द्वारा अनुबंध के किसी भी नियम का उल्लंघन करने पर अनुबंध समाप्ति पर कार्य अन्य एजेंसी को दिया जाता है और यदि उसकी दरें अधिक आती है तो अंतर की राशि प्रथम निविदाकार से वसूल की जावेगी।

13.15 सेवाप्रदाता द्वारा कार्य की उपेक्षा सेवाओं में अकुशलता, किसी भी शर्त का उल्लंघन करने के कारण विपणन संघ को हुई किसी क्षति, हानि अतिरिक्त प्रभार/लागत आदि सेवाप्रदाता से प्रतिभूति व अन्य देय राशियों के अतिरिक्त 13.16 से निर्मित व्यवस्था से वसूली जावेगी। यदि विपणन संघ द्वारा व्यय की गई कुल राशि की पूर्ति के लिये राशि अपर्याप्त रहती है, तो शेष राशि विपणन संघ द्वारा मांगे जाने पर सेवाप्रदाता देने हेतु बाध्य है, यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो विपणन संघ इस संविदा को तत्काल समाप्त कर सकेगा व विपणन संघ के साथ सभी संविदायें निरस्त करते हुये काली सूची में रखेगा व आगामी 03 वर्ष तक विपणन संघ की इस विषयक निविदा में भाग लेने हेतु प्रतिबंधित किया जावेगा। यह प्रतिबंध अनुबंधित फर्म के साथ–साथ फर्म के स्वामी/फर्म के भागीदार, कंपनी पर भी लागू रहेगा। विपणन संघ उस पर कानूनी कार्यवाही कर मय खर्चे के (आर.आर.सी) या सिविल वाद के अनुसार उक्त राशि वसूल कर सकेगा।

13.16 सेवाप्रदाता द्वारा मानव संसाधन सर्वेयर/गुणवत्ता नियंत्रक की अकुशलता के कारण गोदाम में स्वीकार स्कंध निम्न गुणवत्ता का पाये जाने की स्थिति में हुई हानि की प्रतिपूर्ति हेतु सेवाप्रदाता द्वारा विपणन संघ को Fidelity Insurance Coverage राशि रू 1.5 करोड़ एवं Professional

Indemnity Insurance Coverage रू० 50.00 लाख (पचास लाख रू) कर अनुबंध के समय प्रस्तुत करना होगी जो ऐसे प्रकरणों में समायोजन योग्य होगी।

13.17 सेवाप्रदाता के द्वारा जानबूझकर कार्य में विलंब या अन्य कपटपूर्ण आचरण करने पर उसके विरूद्ध अन्य कार्यवाहियों के अलावा उसे अनिवार्यतः विपणन संघ की काली सूची में दर्ज कर भविष्य में विपणन संघ की समस्त निविदाओं में किसी भी हैसियत से भाग लेने हेतु 03 वर्षो तक के लिये अनुपयुक्त/अयोग्य घोषित किया जावेगा। काली सूचीबद्ध होने पर सेवाप्रदाता के विपणन संघ के साथ सभी प्रचलित अनुबंध निरस्त हो जायेंगे व जमा प्रतिभूति राशि राजसात होगी। सेवाप्रदाता से समस्त वसूली योग्य राशि वसूली जावेगी। इस कंडिका के तहत काली सूचीबद्ध किये जाने के अधिकार विपणन संघ प्रबंध संचालक को होंगे।

14 <u>सुरक्षाकर्मियो के कर्तव्य</u>

14.1 आगन्तुकों तथा कार्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियो के साथ शिष्ट एवं नम्र व्यवहार किया जावेगा। सुरक्षाकर्मियों को सुरक्षा का दायित्व पूर्ण मुस्तैदी एवं जागरूकता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना होगा।

14.2 शंका की दशा में किसी भी आगन्तुक अथवा कर्मचारी से पर्स अथवा ब्रीफकेस, झोला आदि की तलाशी की स्थिति निर्मित होने पर संबंधित के सम्मान की रक्षा करते हुए ही उक्त कार्यवाही की जाएगी।

14.3 किसी भी व्यक्ति को आग्नेय/शस्त्र आदि लेकर भवन में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा।

14.4 किसी भी आगन्तुक अथवा कर्मचारी को नशे की हालत में भवन में प्रवेश नहीं करने दिया जायेगा।

14.5 कार्यालय की समस्त चल–अचल संपत्ति एवं भण्डारित स्कन्ध की सुरक्षा का उत्तरदायित्व एजेंसी द्वारा वहन किया जाएगा।

14.6 अधिकृत अधिकारी की अनुमति के बिना कोई भी वस्तु/सामग्री आदि विपणन संघ कार्यालय परिसर से बाहर नहीं ले जाने दिया जाएगा।

15. <u>सर्वेयर/गुणवत्ता परीक्षणकर्ता के कर्तव्यः–</u>

15.1 सर्वेयर/गुणवत्ता परीक्षणकर्ता को सेवाप्रदाता एजेंसी द्वारा गुणवत्ता परीक्षण हेतु आवश्यक तकनीकी उपकरणों की पूर्ण किट प्रदान करना होगी एवं तकनीकी उपकरणों के संचालन का समग्र प्रशिक्षण स्वयं के व्यय पर दिलाया जाना होगा।

15.2 सर्वेयरों की नियुक्ति विपणन संघ के मंडल कार्यालय अंतर्गत समस्त जिलों के किसी भी उपार्जन/भण्डारण केन्द्र पर किसी भी स्थान पर उपस्थित रहकर कार्य संपादित करना होगा।

15.3 सर्वेयरों को उपार्जन केन्द्रों पर कृषकों के द्वारा लायी गई उपज का गुणवत्ता परीक्षण कर सर्वेयर लागिन में मोबाइल के माध्यम से आवश्यक गुणवत्ता मापदण्ड की प्रविष्टियां एफएक्यू मापदण्ड के अनुरूप किया जाना होगा।

15.4 सर्वेयरों को भण्डारण केन्द्रों पर परिवहनकर्ता के द्वारा लायी गई उपज का गुणवत्ता परीक्षण कर सर्वेयर लागिन में मोबाइल के माध्यम से आवश्यक गुणवत्ता मापदण्ड की प्रविष्टियां एफएक्यू मापदण्ड के अनुरूप किया जाना होगा।

15.5 सर्वेयरों को उपार्जन केन्द्रों पर कृषको के साथ मधुर व्यवहार एवं अपना आचरण बिना किसी पक्षपात के गुणवत्ता मापदण्ड का सही–सही नियमानुसार परीक्षण सुनिश्चित करेंगे।

15.6 उपार्जन केन्द्र की एजेंट समिति, विपणन संघ शासन के अन्य विभागों के अधिकारियों के केन्द्र के निरीक्षण के दौरान समुचित जानकारी वांछानुसार उपलब्ध करावेगी।

15.7 विपणन संघ द्वारा निर्धारित किये गये समस्त अभिलेखों/पंजियों/प्रपत्रों का संधारण किया जाना अनिवार्य होगा।

15.8 उपार्जन कार्यस्थल पर कृषकों से उनकी उपज की गुणवत्ता के निर्धारण हेतु किसी प्रकार के भ्रष्ट आचरण/रिश्वत/घूसखोरी/कमीशन आदि में संलिप्त नहीं होंगे। इस प्रकार की किसी भी प्रकार की लिखित/मौखिक शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करायी जाकर विधि अनुकूल कार्यवाही की जावेगी जिसके सेवाप्रदाता एजेंसी के साथ साथ संबंधित व्यक्ति भी स्वमेव उत्तरदायी होगा एवं ऐसे सेवायुक्त को तत्काल कार्य से पृथक किया जावेगा तथा उसके स्थान पर अन्य सेवायुक्त की पदस्थी मौखिक एवं लिखित मांग पर सेवा प्रदाता एजेंसी द्वारा अनिवार्य रूप से 24 घण्टे के भीतर किया जाना होगा।

15.9 सर्वेयरों को अपने कार्यस्थल पर उपार्जन/भण्डारण के दौरान कार्यालयीन समय के पूर्व अथवा उपरांत भी कार्य करना होगा जिसमें किसी भी प्रकार की हीला हवाली मान्य नहीं होगी।

15.10 सर्वेयरों की उपस्थिति का प्रमाणीकरण विपणन संघ द्वारा दिये गये निर्देशानुसार उपार्जन केन्द्र की उपार्जन समिति से एवं भण्डारण केंद्र के प्रभारी से प्रमाणित कराया जाना होगा।

16. <u>व्यवहार एवं आचरण:–</u>

समस्त सर्वेयर/सुरक्षाकर्मी विपणन संघ के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से सौहार्दपूर्ण विवेकपूर्ण व्यवहार के साथ–साथ आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे। अशोभनीय/अभद्र व्यवहार प्रदर्श होने की दशा में ऐसे सर्वेयर/सुरक्षाकर्मी को तत्काल कार्य से पृथक करने का अधिकार जिला विपणन अधिकारी/मंडल प्रबंधक विपणन संघ को रहेगा एवं ऐसे पृथक किये गये कर्मचारी के स्थान पर अन्य कर्मचारी के सेवायें सेवाप्रदाता एजेंसी द्वारा तत्काल उपलब्ध कराई जानी होगी।

17 <u>सुरक्षाकर्मी/सर्वेयर को किये जाने वाले भुगतान एवं अवकाश के नियम :–</u>

17.1 निविदाकार द्वारा पदस्थ किये गये सुरक्षाकर्मी को श्रमायुक्त कार्यालय/जिला कलेक्टर द्वारा समय–समय पर परिवर्तित पारिश्रमिक दरे देय होगी एवं सर्वेयर को 22,000 रू0 प्रतिमाह की दर से पारिश्रमिक दरें देय होगा।

17.2 सेवा प्रदाता एजेंसी अपने समस्त सुरक्षाकर्मी/सर्वेयर को न्यूनतम वेतन एक्ट के प्रावधान के अनुसार मासिक पारिश्रमिक/अन्य दायित्व समस्त भुगतान किए जाने के उपरांत "स्वघोषणा पत्र" संलग्न कर अपने मासिक देयक के साथ प्रतिमाह की 7 तारीख तक विपणन संघ संभागीय मण्डल कार्यालय में जमा करना होगा।

17.3 एजेंसी के द्वारा अनुबंधकर्ता संस्था में पदस्थ समस्त सुरक्षाकर्मी/सर्वेयर के पारिश्रमिक का भुगतान KYC धारित Account में NEFT/RTGS माध्यमों से ही किया जावेगा। नगद भुगतान किसी भी स्थिति में नहीं किया जावेगा। उपरोक्त संबंध में एजेंसी द्वारा त्रैमासिक आधार पर सी0ए0 सर्टीफिकेट प्रस्तुत किया जायेगा।

17.4 निविदादाता द्वारा विपणन संघ को प्रदाय किये गये कर्मचारी का ई0पी0एफ0, ई0एस0आई0 एवं जी.एस.टी. का भुगतान संबंधित शासकीय विभागों को किया जावेगा एवं प्रतिमाह के देयक के साथ उक्त भुगतानो से संबंधित दस्तावेज यथा ई0पी0एफ0, ई0एस0आई0 के चालान तथा विवरणी के साथ स्वप्रमाणित कर्मचारीवार ई0पी0एफ0, ई0एस0आई0 आदि राशि की सूची (जिसका मिलान चालान तथा विवरणी से हो) विपणन संघ को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगें।

17.5 सेवाप्रदाता को सप्ताह के सातों दिवस कार्य करना होगा।

17.6 उपलब्ध कराये गये सुरक्षाकर्मी/सर्वेयर को सप्ताह में केवल एक साप्ताहिक अवकाश की पात्रता होगी। साप्ताहिक अवकाश के दिवस सुरक्षाकर्मी/सर्वेयर की वैकल्पिक व्यवस्था सेवा प्रदाता एजेंसी द्वारा अनिवार्यतः की जावेगी जिसके लिये एजेंसी को किसी भी प्रकार के अतिरिक्त भुगतान की पात्रता नही होगी। कार्यालयीन आवश्यकता होने पर उन्हें अवकाश के दिन भी बुलाया जा सकता है जिसके लिये उन्हें किसी भी प्रकार के अतिरिक्त भुगतान की पात्रता नहीं होगी।

17.7 प्रत्येक सुरक्षाकर्मी/सर्वेयर का कार्य समय 8:00 घंटे होगा तथा शिफ्टों/कार्य अवधि का निर्धारण एजेन्सी, म०प्र० राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित के निर्देशानुसार करेंगी।

17.8 पदस्थ सुरक्षाकर्मी/सर्वेयर की छुट्टी एवं बीमारी की स्थिति में एजेंसी को तत्काल वैकल्पिक रूप से नये कर्मी की व्यवस्था करनी होगी।

17.9 एजेंसी अपने सुरक्षा कर्मियों को वर्दी, मोजा, जूता, रेनकोट, गर्म जर्सी व टार्च सेल, डंडा व सुरक्षा सामग्री आदि मुहैया कराएगी जिसका पृथक से किसी भी तरह का भुगतान, अनुबंधकर्ता संस्था द्वारा देय नहीं होगा।

17.10 यदि कोई सुरक्षाकर्मी/सर्वेयर किसी गैर कानूनी कार्यकलाप में लिप्त पाया जाता है व उनके द्वारा अभद्रता की जाती है तथा किसी भी प्रकार के नशे में पाया जाता है या म०प्र० राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित के अहित में कार्य करता हुआ पाया जाता है तो विपणन संघ को यह अधिकार होगा कि ऐसे सुरक्षाकर्मी/सर्वेयर को तत्काल परिसर से हटा सकें एवं एजेंसी का यह दायित्व होगा कि उपयुक्त व्यक्ति से इनके स्थापन्न की तत्काल पूर्ति की जाए।

17.11 निविदाकार एजेंसी पंजीकृत कम्पनी हो सकती है परन्तु एजेंसी के पास कम से कम 100 सुरक्षाकर्मियों/सर्वेयर का वर्तमान में मान्य कॉन्ट्रेक्ट लेबर लायसेंस होना अनिवार्य है।

17.12 एजेंसी का विगत 03 वर्षों (2015–16, 2016–17 एवं 2017–18) औसत टर्नओव्हर रूपये तीन करोड़ होना, तथा विगत 03 वर्षो (2015–16, 2016–17 एवं 2017–18) में से किसी एक वर्ष में कम से कम एक संस्था से सुरक्षा व्यवस्था के लिये एकल अनुबंध मूल्य (टेंडर वैल्यू) रूपये एक करोड़ से ज्यादा का होना चाहिये। टर्न ओवर के प्रमाण हेतु तीनों वर्ष की ऑडिटेड बैलेंस शीट (केवल लाभ–हानि पत्रक सहित) एवं चार्टर्ड अकाउटेंट का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कराना अनिवार्य है तथा संदर्भित एकल अनुबंध मूल्य की (टेंडर वैल्यू) की सी.ए द्वारा जारी प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना अनिवार्य है। बैलेन्सशीट एवं एकल अनुबंध मूल्य के प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति के अभाव में निविदा अमान्य होगी।

17.13 निविदाकार को केन्द्र शासन के विभाग/उपक्रम या राज्य शासन के विभाग/उपक्रम एवं निजी क्षेत्र या राष्ट्रीयकृत एवं शेडयूल बैंकों आदि हेतु सुरक्षाकर्मी/सर्वेयर व्यवस्था का न्यूनतम 03 तीन वर्ष का अनुभव और वर्तमान में एजेंसी में कार्यरत/नियोजित सुरक्षा कर्मियों/सर्वेयर की संख्या (एक संस्था या विभिन्न संस्थाओं में जोड़कर) कम से कम 100 होना अनिवार्य है।

17.14 निविदा प्रस्तुत करने के साथ निविदाकार को प्रमाण सहित उन संस्थाओं की सत्यापित सूची लगाना होगी जहां वह कार्य कर रही है।

17.15 जिला कलेक्टर द्वारा समय–समय पर सुरक्षाकर्मियो को निर्धारित अकुशल पारिश्रमिक प्रतिमाह की दर से अनुबंधकर्ता संस्था द्वारा भुगतान की जावेगी। यदि सुरक्षाकर्मी से कम भुगतान की शिकायत प्राप्त होती है और प्रमाणित पाई जाती है, तब एजेंसी का यह कृत्य अनुबंध का उल्लंघन मानते हुई कार्यवाही की जावेगी।

17.16 एजेंसी द्वारा सुरक्षाकर्मी/सर्वेयर को प्रतिमाह देय राशि का भुगतान Minimum Wages Act, 1948 and Payment of Wages Act, 1936 में दिये गये प्रावधान अनुसार करना होगा।

17.17 एजेंसी विपणन संघ से सुरक्षा कर्मियों/सर्वेयर की आवश्यकता की संख्या प्राप्त करेगी तदानुसार विपणन संघ में लगने वाले कर्मियों का बायोडाटा मय फोटो, आधार कार्ड नम्बर आदि के साथ निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण जानकारी सहित विपणन संघ में बायोडाटा जमा कराये बगैर एजेंसी के द्वारा सुरक्षा कर्मी/सर्वेयर को ड्यूटी पर नहीं लगाया जायेगा।

17.18 एजेंसी में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों/सर्वेयर की जिनकी एजेंसी के द्वारा पदस्थी की जावेंगी, का पुलिस वेरीफिकेशन तथा स्वस्थता प्रमाण पत्र जिला चिकित्सालय से प्राप्त कर, निविदा अनुबंध निष्पादन के अधिकतम एक माह के अंदर, विपणन संघ को प्रस्तुत करना होगा। उपरोक्त की पूर्ति होने के पश्चात ही विपणन संघ के द्वारा एजेंसी को भुगतान किया जावेगा।

17.19 वैधानिक भुगतान जैसे जी.एस.टी., ईपीएफ अंशदान तथा ई.एस.आई अंशदान, एजेंसी को स्वीकृत **"सेवा प्रभार"** के अतिरिक्त देय होगा जिनकी पूर्ति विपणन संघ द्वारा की जावेगी।

17.20 एजेंसी विपणन संघ में पदस्थ अपने प्रत्येक सुरक्षा कर्मी/सर्वेयर की प्रत्येक माह देय ई०पी०एफ० की राशि निर्धारित कार्यालय में जमा कराकर चालान/रसीद की प्रति विपणन संघ को प्रत्येक एक माह में उपलब्ध करानी होगी। विपणन संघ द्वारा उपरोक्त पूर्ति के उपरांत, मासिक पारिश्रमिक का भुगतान एजेंसी को किया जावेगा।

17.21 एजेंसी के द्वारा सुरक्षा कर्मियों/सर्वेयर के वैधानिक भुगतान जैसे ईपीएफ, ईएसआई तथा जी. एस.टी. आदि संबंधित समस्त अधिनियमों के तहत सभी औपचारिकताओं एवं पूर्तियों के लिये एजेंसी स्वयं पूर्णतः जिम्मेदार होगी। उक्त पालनपूर्ति न होने से जो भी वैधानिक व्यय उत्पन्न होंगे उनका निराकरण तथा वित्तीय व्यय एजेंसी द्वारा वहन किया जाएगा।

17.22 संबंधित निविदाकार एजेंसी को विगत वर्ष 2017–18 में म०प्र० के शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालयों में उपलब्ध कराये गये सुरक्षाकर्मी/सर्वेयर की संख्या के संबंध में मय अभिलेखों के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

17.23 प्रदाय/पदस्थ किये गये समस्त सुरक्षाकर्मी/सर्वेयर विपणन संघ के नियंत्रण में रहेंगे।

17.24 **एजेंसी को निम्न तथा अन्य प्रचलित अधिनियमों का पालन करना होगा :–**

a **Minimum Wages Act, 1948.**
b. **Contributory P.F. And Misellaneous Provisions Act 1952.**
c. **Factories Act & M.P Rules 1948**
d. **Contract labour (Regulation & Abolition Policies 1970)**
e. **Payment of Wages Act 1936.**
f. **Workman Compensation Act 1923 & any other Rules.**
g. **Provision of Goods and service tax Act, 2017.**

उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य प्रासंगिक सभी प्रकार के नियम लागू होंगे जो उपरोक्त के अलावा निविदा में वर्णित कार्य पर प्रत्यक्ष या प्रोक्ष रूप में लागू होते है।

1— अगर किसी प्रकरण में विपणन संघ उचित समझे कि जांच आवश्यक हो या पुलिस थाना में रिपोर्ट करना आवश्यक हो तो एजेंसी विपणन संघ के निर्देशों का पालन करेगी। अगर चालान अदालत में प्रस्तुत होता हो तो एजेंसी को जब तक कि उसका फैसला नहीं हो जाये, साक्ष्य आदि के लिये उपलब्ध रहना होगा।

2— विपणन संघ के भवन एवं परिसर/प्रांगण का पूरा भाग जिसके लिए एजेंसी को लगाया गया है के किसी भाग या क्षेत्र में सुरक्षाकर्मी/सर्वेयर न लगाये जाने/न प्रदाय करने की स्थिति में एजेंसी को देय भुगतान में से अनुपातिक रूप से उतनी राशि काटी जावेगी।

3— एजेंसी द्वारा आयकर अधिनियम के तहत आयकर की राशि स्वयं नियमानुसार जमा कर उसकी प्रति विपणन संघ को देना होगी।

4— यदि विपणन संघ एवं एजेंसी के मध्य अनुबंध के तहत कोई विवाद उत्पन्न है तो प्रकरण प्रबंध संचालक, म०प्र० राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या0 मुख्यालय भोपाल को प्रस्तुत किया जावेगा। प्रबंध संचालक, ऑर्बीट्रेटर होंगे और उनके द्वारा दिया गया निर्णय/अवार्ड एजेंसी को मान्य एवं बंधनकारी होगा।

5— सभी प्रकरणों में न्यायालयीन क्षेत्राधिकार भोपाल रहेगा।

6— कार्य के दौरान यदि सुरक्षागार्ड/सर्वेयर किसी दुर्घटना का शिकार होता है तो उसकी क्षतिपूर्ति का दायित्व सुरक्षा एजेंसी का होगा।

7— निविदाकार को स्वघोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसकी एजेंसी के विरूद्ध किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था के द्वारा दायर आर्थिक प्रकरण में किसी तरह की दोषिता सिद्ध नहीं हुई है।

8— सशर्त प्रस्तुत की गई निविदा मान्य नहीं होगी।

18— <u>निविदाकार को संलग्न प्रपत्र–01 अनुसार निविदा विवरणी प्रस्तुत करना अनिवार्य है।</u>

18.1 एजेंसी को भुगतान की गई राशियों का नियमानुसार लेखा संधारण करना होगा जिसे कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

18.2 एजेंसी, द प्राईवेट सिक्यूरिटी एजेंसी एक्ट, 2005 या प्रायवेट सुरक्षा अभिकरण केन्द्रीय मॉडल नियम, 2006 के अन्तर्गत वैद्य पंजीयन/लायसेंस होना अनिवार्य है।

18.3 एजेंसी को आयकर अधिनियम के समस्त नियम जो इस निविदा के लिये आवश्यक है का पालन करना अनिवार्य होगा।

18.4 एजेंसी द्वारा सुरक्षाकर्मियो/सर्वेयर को अपने परिचय–पत्र (आई कार्ड) देना अनिवार्य होगा तथा परिचय पत्र की छायाप्रति विपणन संघ को उपलब्ध कराना होगा।

18.5 प्रथम सफल निविदाकार द्वारा सुरक्षा कर्मी/सर्वेयर उपलब्ध करवा दिये जाते हैं, तो द्वितीय निविदाकार द्वारा जमा की गई राशि एक माह के अंदर लौटा दी जावेगी।

18.6 एजेंसी अथवा उसके सुरक्षा कर्मियों द्वारा अथवा उनकी लापरवाही के कारण विपणन संघ को या उसकी सम्पत्ति एवं भण्डारित स्कन्ध को कोई क्षति/हानिं होती है तो उसकी प्रतिपूर्ति एजेंसी को करना होगी।

18.7 निविदाकार एजेंसी के द्वारा कार्य आदेश प्राप्त होने पर अनुबंध निष्पादित करने के पश्चात, इस निविदा के अंतर्गत उन्हें दिये गये कार्य को किसी भी स्थिति में अन्य संस्था/व्यक्ति को अंशतः या पूर्णतः हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है।

18.8 प्रबंध संचालक, म०प्र० राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या० मुख्यालय भोपाल को किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को बिना कोई कारण बताए निरस्त करने का अधिकार होगा।

19— <u>चयन प्रकिया</u>

19.1 तकनीकी निविदा खोलने के उपरांत सर्वप्रथम ऑनलाईन अमानत राशि की ई–रिसिप्ट की जांच की जायेगी। ई–रिसिप्ट प्राप्त न होने की स्थिति में निविदा निरस्त मानी जावेगी।

19.2 तकनीकी बिड प्रपत्र क्रमांक–1 में उल्लेखित "सेवा प्रदाता की आवश्यक न्यूनतम अर्हतायें" के अनुसार तकनीकी निविदा का आंकलन कर जो निविदाकार आवश्यक न्यूनतम अर्हताओं की पूर्ति करते है केवल उन्हीं निविदाकारों का तकनीकी मूल्यांकन किया जावेगा।

20— <u>वित्तीय निविदा का मूल्यांकन करने के लिए निम्न प्रकिया का पालन किया जावेगाः—</u>

20.1 निविदा दर राशि अंको एवं शब्दों दोनों में भरा जाना है यदि अंको एवं शब्दों में अलग–अलग अंकित किया जाना पाया जाता है तो निविदा अमान्य की जावेगी।

20.2 वित्तीय निविदा प्रपत्र–2 में दी गई न्यूनतम राशि के आधार पर निविदाकार को न्यूनतम निविदाकार माना जावेगा।

20.3 वित्तीय ऑफर में समान न्यूनतम दर होने कि स्थिति में ऐसे निविदाकार का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जावेगा जिसके अंतर्गत सबसे पहले पर्ची उठाने के क्रम निर्धारण हेतु पर्ची उठाने के पश्चात निविदाकार को प्राप्त हुये क्रमांक के अनुसार सफल/असफल की पर्ची निविदाकार द्वारा उठाई जायेगी, जिसे सफल की पर्ची प्राप्त होगी उसे सफल निविदाकार माना जावेगा।

(पी0एस0 तिवारी)
सचिव

प्रपत्र–01

म०प्र० राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित

विपणन संघ

जहाँगीराबाद मुख्यालय, भोपाल

निविदाकार की विवरणी

क्र0	विवरण	
1	फर्म/एजेंसी/संस्था का नाम	
2	एजेंसी/फर्म/संस्था का पूरा वर्तमान और स्थाई पता।	
3	हस्ताक्षरकर्ता का नाम एवं पद	
4	पत्र व्यवहार का पता	
5	दूरभाष क्रमांक	
6	ई–मेल का पता	
7	एजेंसी/फर्म/संस्था का प्रकार (पंजीकृत/पंजीकृत साझेदारी/एकल स्वामित्व)	**(स्वयं सत्यापित साक्ष्य संलग्न करे)**
8	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक (श्रमायुक्त कार्यालय का)	**(स्वयं सत्यापित साक्ष्य संलग्न करे)**
9	भविष्य निधि कार्यालय का पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	**(स्वयं सत्यापित साक्ष्य संलग्न करे)**
10	ई.एस.आई. में पंजीयन का क्रमांक एवं दिनांक	**(स्वयं सत्यापित साक्ष्य संलग्न करे)**
11	निविदा दिनांक को वैध निम्न पंजीयन विवरण **हस्ताक्षरकर्ता का पेन कार्ड नंबर** **फर्म/संस्था का पेन कार्ड नंबर** **ई0पी0एफ0 रजिस्टेशन नंबर** **कर्मचारी राज्य बीमा निगम का रजिस्टेशन नंबर** **जी0एस0टी0एन0 का पंजीयन एवं दिनांक**	**(स्वयं सत्यापित साक्ष्य संलग्न करे)**
12	एजेंसी का विगत 3 वर्षो का औसत टर्नओवर (रू0) वर्ष 2015–16 वर्ष 2016–17 वर्ष 2017–18 (चार्टर्ड अकाउंटेंट से सत्यापित लाभ हानि पत्रक संलग्न करे)	
13	आयकर विवरणी वर्ष 2015–16, 2016–17 एवं वर्ष 2017–18 में आयकर रिटर्न/विवरणी की छायाप्रति संलग्न करे।	
14	यदि कोई आपराधिक प्रकरण में एजेंसी/फर्म के विरूद्ध दोषिता सिद्ध हुई है ? हॉ अथवा नहीं	**(यदि है तो अलग से विवरण देवें एवं शर्त के अनुसार दर्ज या अयोग्य घोषित नहीं होने की स्वघोषणा पत्र देना अनिवार्य है)**
15	यदि केन्द्र/राज्य शासन के किसी विभाग द्वारा ब्लेक लिस्टेड किया गया है ? हॉ अथवा नहीं	**यदि है तो अलग से विवरण देवें एवं शर्त के अनुसार दर्ज या अयोग्य घोषित नहीं होने की स्वघोषणा पत्र देना अनिवार्य है।**
16	ऑनलाईन जमा की गई अमानत राशि की रसीद	**ई–रसीद संलग्न करे।**
17	यदि सेवा के संबंध में कोई न्यायालयीन प्रकरण चल रहा रहा हो तो उसका उल्लेख करे।	

नोट :— कॉलम 1 से 17 तक की समस्त जानकारी देना अनिवार्य है किसी भी जानकारी के अभाव में तकनीकी निविदा निरस्त मानी जावेगी एवं उन निविदाकारो के वित्तीय निविदा नहीं खोली जावेगी।

(हस्ताक्षर एवं मुद्रा)
निविदाकार/एजेंसी के मुख्य कार्यपालक

नाम ....

दिनांक......./......./2019

प्रपत्र–2

वित्तीय निविदा

निविदाकार/सेवा प्रदाता एजेंसी का नाम ....

(अ) सुरक्षाकर्मी/सर्वेयर

क्र0	मण्डल कार्यालय/संभाग	सेवा प्रभार हेतु ली जाने वाली दर प्रति सुरक्षाकर्मी		सेवा प्रभार हेतु ली जाने वाली दर प्रति सर्वेयर	
		अंको में	शब्दों में	अंको में	शब्दों में
1	इंदौर				
2	उज्जैन				
3	सागर				
4	ग्वालियर				

(ब) सर्वेयर

क्र0	मण्डल कार्यालय/संभाग	सेवा प्रभार हेतु ली जाने वाली दर प्रति सर्वेयर	
		अंको में	शब्दों में
1	जबलपुर		

नोट :–

1. निविदा दर राशि अंको एवं शब्दों दोनों में भरा जाना है यदि अंको एवं शब्दों में अलग–अलग अंकित किया जाना पाया जाता है तो निविदा अमान्य की जावेगी।
2. निविदा में दी गई निविदा दर दशमलव के बाद दो अंकों तक ही मान्य की जावेगी।
3. निविदा दर शून्य मान्य नहीं की जावेंगी।

(हस्ताक्षर एवं मुद्रा)

निविदाकार/एजेंसी के मुख्य कार्यपालक

नाम ....

दिनांक....../......./2019

D:\ Suraksha Gard _Surveyor tender

प्रपत्र– 03

//घोषणा–पत्र//

मैं/हमें प्रमाणित करता हूँ/करते है कि हमें/मुझे म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित भोपाल की निर्धारित सभी शर्ते मंजूर है तथा हमें/मुझे विपणन संघ गोदामो/कैपों/प्रागंणो में सुरक्षाकर्मी व्यवस्था की पूर्ण जानकारी है हम/मैं इस पर सहमति देता हूँ कि आउटसोर्सिंग व्यवस्था के लिये लगाये गये सर्वेयर एवं सुरक्षाकर्मियों को समय–समय पर जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दर के आधार पर माह की प्रत्येक 07 तारीख पर भुगतान किया जावेगा। शासन के नियम/निर्देशो के तहत वैधानिक देय राशि कटोत्रे यथा ई0एस0आई0/ई0पी0एफ तथा जी.एस.टी. आदि की राशि निविदा की शर्तो के अनुसार अनुबंधकर्ता संस्था से प्राप्त कर संबंधित शासकीय कार्यालय में जमा करूगा एवं प्रत्येक माह के देयक के साथ विगत माह के जमा दस्तावेज देयक के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करूगा। जी.एस.टी., ई0पी0एफ0, ई0एस0आई0 सभी प्रकार के लेवी/टैक्स जमा करने संबंधी अनुबंध अवधि में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो समस्त प्रकार की राशि जमा करने की जिम्मेदारी हमारी/मेरी रहेगी। वैधानिक समस्त कर पेनाल्टी की राशि जमा संबंधी विवाद में अनुबंधकर्ता संस्था उत्तरदायी नहीं होगा।

मेरे द्वारा घोषणा की जाती है कि मैं निविदा की समस्त नियम–शर्तो से पूर्णतः सहमत हूँ। मेरे द्वारा दी गयी जानकारी पूर्ण सत्य है यदि जानकारी असत्य पायी जाती है तो म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या द्वारा नियमानुसार मेरे विरूद्व कोई भी वैधानिक कार्यवाही की जा सकती है।

मेरे/हमारे द्वारा दी गयी जानकारी मेरे निजी ज्ञान और विश्वास के अनुसार पूर्णतः सत्य है।

मेरे/हमारे प्रत्येक कार्य एवं संलग्न पत्रकों के विषय में कोई जांच की जाती है तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी।

आवेदक का नाम/पद/हस्ताक्षर/सील के साथ

आवेदक एजेंसी का नाम.......................................

पूरा पता ....

....

दूरभाष/मोबाईल नं0–...

ई–मेल आई0डी0...

प्रपत्र—04

सर्वेयर एवं सुरक्षाकर्मियो की अनुमानित संख्या का विवरण

क्र0	मण्डल कार्यालय/संभाग	सुरक्षाकर्मी को देय मासिक वेतन रूपये 7375/—	अनुमानित संख्या	सर्वेयरों को देय मासिक वेतन रूपये 22000/—	अनुमानित संख्या
1	इंदौर		35		07
2	उज्जैन		14		15
3	जबलपुर		0		29
4	रीवा		0		00
5	सागर		47		45
6	ग्वालियर		24		87

नोट :—

1— उपरोक्त कर्मियों की संख्या अनुमानित है जिसमें विपणन संघ मुख्यालय की अनुमति उपरांत वृद्धि की जा सकेगी जो कि उपलब्ध कराया जाना संबंधित एजेंसी के लिये अनिवार्य होगा।

2— मानव संसाधनों को समय—समय पर परिवर्तित कलेक्टर रेट अनुसार भुगतान किया जावेगा।

3— सभी मानव संसाधनों को शासकीय नियमानुसार ई0एस0आई0, ई0पी0एफ0, जी0एस0टी0 एवं अन्य वैधानिक दायित्वों का भुगतान किया जावेगा।

(हस्ताक्षर एवं मुद्रा)

निविदाकार/एजेंसी के मुख्य कार्यपालक

नाम ....

दिनांक....../...../2019

प्रपत्र –05

(अनुभव के संबंध में)

क्र0	विभाग का नाम	विभाग का प्रकार (शासकीय/अर्द्धशासकीय/निजी)	समयावधि	सर्वेयर/सुरक्षाकर्मी की संख्या	कार्यदेश क्रमांक एवं दिनांक

नोट :– कार्यादेश की छायाप्रति संलग्न करे।

(हस्ताक्षर एवं मुद्रा)

निविदाकार/एजेंसी के मुख्य कार्यपालक

नाम ....

दिनांक....... /...... /2019

D:\ Suraksha Gard _Surveyor tender

अनुबंध–पत्र (नमूना प्रति)

(1,000/– रूपये मूल्य के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर)

भारत शासन की प्राईस सपोर्ट स्कीम/विकेन्द्रीकृत योजनांतर्गत समर्थन मूल्य पर/व्यवसायिक खरीदी हेतु उपार्जन के दौरान कृषि जिंसों/उद्यानिकी फसलों की एफएक्यू गुणवत्ता के परीक्षण हेतु सर्वेयरों एवं विपणन संघ की गोदामों/अस्थाई कैपो में भंडारित स्कंध की सुरक्षा हेतु सुरक्षाकर्मी आउट सोर्सिंग के आधार पर प्रदाय करने हेतु सेवा प्रदाता एजेंसी (निविदाकार) .... के बीच आज दिनांक .... दिन.................... .... को अनुबंध निम्न शर्तो के अधीन अनुबंध निष्पादित किया जाता है।

1– यह कि प्रथम पक्षकार मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या0. मण्डल कार्यालय द्वारा समाचार पत्रो के माध्यम से ई–निविदायें आमंत्रित की गई जिसमें लिखित समस्त नियम व शर्तो को द्वितीय पक्षकार मेसर्स .... द्वारा स्वीकार किया गया हैं।

2– यह कि निविदा प्रपत्र में दी गई समस्त नियम व शर्ते अनुबंध का हिस्सा होगी।

3– यह कि अनुबंध के शर्तो का उल्लघन पाये जाने पर प्रथम पक्षकार एक तरफ कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

4– यह कि वर्णित शर्तों में से किसी भी शर्त का द्वितीय पक्षकार द्वारा उल्लंघन किये जाने की दशा में जमा की गई धरोहर राशि राजसात करने का अधिकार प्रथम पक्षकार को होगा।

अतः यह अनुबंध स्वस्थ मानसिक दशा में बिना किसी प्रलोभन व किसी दबाव के पूर्ण होश–हवास में उपस्थित गवाहो के समक्ष आज दिनांक .... को निष्पादित किया गया है ताकि सनद रहे एवं वक्त जरूरत काम आवें।

दिनांक ....

साक्षीगण

1– प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर ....
नाम व पता ....
....

2– द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर ....
नाम व पता ....
....